Satyabrata Sahu, I.A.S.
Joint Secretary
सत्यब्रत साहु, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation

अर्धशासकीय पत्र सं. डब्लू- 11042/4/2014/जल
दिनांक 8 सितम्बर, 2014

प्रिय महोदया/महोदय,

दिनांक 25.08.2014 को हुए एनआरडीडब्लूपी की राष्ट्रीय समीक्षा के दौरान किए गए चर्चा के आधार पर, वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत की स्थिति प्राप्त करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित सूचना प्रेषित की जा रही है।

2. अधिकांश राज्यों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के संबंध में बहुत कम प्रगति देखी गई है। **यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण बसावटों के लिए एसएलएसएससी द्वारा किसी भी नई जलापूर्ति स्कीम के अनुमोदन से पहले राज्यों के पास स्वच्छता हेतु योजना तैयार होनी चाहिए (जिसमें वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों, स्कूली तथा आंगनवाड़ी शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण शामिल है)।**

3. यह पाया गया है कि राज्य पूर्ण रूप से कवर की गई बसावटों को कवरेज दे रहे हैं जबकि आंशिक रूप में कवर किए गए तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की बहुत अधिक संख्या कवर करने हेतु अब भी शेष हैं। अतः **यह निर्णय लिया गया है कि राज्य पहले से पूर्ण रूप से कवर की गईं बसावटों को अतिरिक्त कवरेज (40 एलपीसीडी से अधिक) उपलब्ध कराने से पूर्व सभी आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कम से कम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल उपलब्ध कराने के लिए उन्हें कवर करें।**

4. राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र उपर्युक्त निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। संबंधित क्षेत्र अधिकारी, एसएलएसएससी की कार्यवाहियों को अनुमादन प्रदान करते समय भी इन निर्णयों का पालन सुनिश्चित करें।

सादर,

आपका,

सत्यब्रत.
(सत्यब्रत साहु)

सेवा में,

ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी प्रधान सचिव- सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

Paryavaran Bhawan, 9th Floor, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Tel. : 24361043 Fax : 24364113 E-mail : jstm@nic.in